

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला सम्भल
तहसील सम्भल
आवेदन क्र० 16750030051236
प्रमाणपत्र क्र० 754163015746

जारी दिनांक: 28/08/2016

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री रविन्द्र कुमार
श्री जसवंत सिंह
श्रीमती ..
ग्राम ततारपुर संदल
सम्भल
सम्भल



उत्तर प्रदेश राज्य की संभल जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्द्र कुमार पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 2004 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1996 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: मो० इकरार हुसैन, मो० इकरार हुसैन लोकवाणी
पद: मो० इकरार हुसैन, मो० इकरार हुसैन
स्थान: मो० इकरार हुसैन, मो० इकरार हुसैन
दिनांक: 28/08/2016
हस्ताक्षर एवं मुहर

ARVIND KUMAR TIWARI
Digitally Signed by
ARVIND KUMAR
TIWARI
On Personal
Certificate
KUMAR TIWARI
S=Uttar Pradesh

सहायक अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सम्भल, सम्भल
दिनांक: 28/08/2016

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पकड़ने आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।